भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1850

बुधवार, 04 अगस्त, 2021 / 13 श्रावण, 1943 (शक)

छत्तीसगढ़ में सन्निर्माण कर्मकार

1850. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में भवन ओर अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकारों की छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम के तहत कुल संग्रहित और प्रयुक्त धनराशि कितनी-कितनी है;

(ग) क्या विभिन्न राज्य बोर्ड के साथ पंजीकृत कर्मकारों की संख्या में कोई उल्लेखनीय कमी आई है और उक्त उपकर के संग्रहण में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड.) सरकार ने कल्याण बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा कर्मकारों का पंजीकरण कराये जाने और साथ ही उक्त कल्याण उपकर के अंतर्गत संग्रहित धनराशि के प्रभावी उपयोग के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

(ग) और (घ): कामगारों का पंजीकरण एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कामगारों की संख्या और उपकर की उगाही का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	पंजीकृत कामगारों की संख्या	एकत्रित संचयी उपकर (करोड़ रुपये में)
2017-18	3,06,90,852	42505.78
2018-19	3,47,75,421	49688.07
2019-20	3,48,25,665	54323.19
2020-21	4,14,16,704	67197.26

(ङ): भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 60 के अंतर्गत दिनांक 06.07.2020 को सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों में अब तक पंजीकृत न किए गए छूटे हुए सभी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों का पंजीकरण कराने के लिए मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) की प्रतिलिपि के साथ अनुदेश जारी किए हैं। यह उपाय सुनिश्चित करेगा कि एक बार पंजीकरण कराते ही, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार, राज्य कल्याण बोर्डों की कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के पात्र हो जाएंगे।

इसके अलावा, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 60 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों की सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी उपायों के लिए उपकर निधियों के श्रेष्ठतम उपयोग हेतु समय-समय अनेक अन्य अनुदेश भी जारी किए गए हैं जिनमें राज्य कल्याण बोर्डों की कल्याणकारी योजनाओं तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ शामिल हैं जैसे पीएम-जेएवाई (आयुष्मान भारत) के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा योजना, पीएम-जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से जीवन एवं नि:शक्तता कवर, पीएम-सुरक्षा बीमा योजना और पीएम-श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के माध्यम से 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन तथा उपकर निधि का उपयोग करते हुए बेरोजगारी, बीमारी, महामारियों या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान गुजारा भत्ता।

* ******

अनुबंध

'छत्तीसगढ़ में सन्निर्माण कामगार' के संबंध में पूछे जाने वाले दिनांक 04.08.2021 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1850 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

*भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कामगारों की संख्या तथा उपकर के ब्यौरे की राज्य-वार स्थिति

क्रम सं.	**राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के नाम**	**पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कामगारों की संख्या**	**एकत्रित उपकर/निधि (करोड़ रुपये में)**	**उपकर का व्यय/उपयोगित निधि (करोड़ रुपये में)**
1	आंध्र प्रदेश	1967484	2374.71	519.17
2	अरुणाचल प्रदेश	44136	297.69	115.16
3	असम	500380	1616.12	267.30
4	बिहार	1799371	2319.26	1364.72
5	**छत्तीसगढ़**	**2006575**	**1708.63**	**1208.46**
6	गोवा	5117	161.01	1.88
7	गुजरात	683000	2013.84	545.29
8	हरियाणा	892774	3194.93	1358.63
9	हिमाचल प्रदेश	313810	668.00	297.00
10	जम्मू और कश्मीर(लद्दाख सहित)	556818	1182.40	721.21
11	झारखण्ड	1176866	797.14	453.89
12	कर्नाटक	3165495	7825.96	3244.84
13	केरल	2030093	2476.90	3804.64
14	मध्य प्रदेश	1154641	3267.59	2628.87
15	महाराष्ट्र	2688227	11120.25	3113.98
16	मणिपुर	139192	168.20	156.21
17	मेघालय	28836	157.10	5.30
18	मिज़ोरम	52947	135.63	94.45
19	नागालैण्ड	21960	70.50	13.37
20	ओड़िशा	2900349	2034.55	1506.77
21	पंजाब	579212	1501.11	831.36
22	राजस्थान	2727116	3196.45	1963.45
23	सिक्किम	38361	112.83	38.67
24	तमिलनाडु	1438245	4424.73	1719.78
25	तेलंगाना	227810	2214.17	1494.58
26	त्रिपुरा	111419	231.14	45.83
27	उत्तर प्रदेश	10342778	6826.73	2764.32
28	उत्तराखण्ड	292362	452.42	327.19
29	पश्चिम बंगाल	3101362	2138.53	956.75
30	दिल्ली	332957	2710.30	386.15
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	21341	108.06	25.98
32	चण्डीगढ़	23718	156.82	12.38
33	दादरा और नागर हवेली	10168	63.99	6.12
34	दमन और दीव	5149	37.17	0.57
35	लक्षद्वीप	434	9.02	2.356
36	पुडुचेरी	36201	143.38	125.48
	कुल	**41416704**	**67917.26**	**32122.106**

***स्रोत: राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार।**

******